

निर्वाचनों का संचालन नियम- 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप- 2ख

(नियम 4 देखिए)

नाम निर्देशन-पत्र

बिहार (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

नीचे भाग 1 या भाग 2, जो लागू न हो, उसे काट दें

भाग- 1

(मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग के लिए)

मैं विधान सभा के निर्वाचन के लिए .....

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ ।

35  
a  
01.04 PM  
a

अभ्यर्थी का नाम .....

पिता/माता /पति का नाम ..... उसका

डाक पता .....

उसका नाम ..... विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की

निर्वाचक नामावली के भाग सं० ..... में क्रम सं० ..... पर प्रविष्ट है ।

मेरा नाम ..... है जो .....

..... विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग सं० .....

में क्रम सं० ..... पर प्रविष्ट है ।

तारीख .....

(प्रस्थापक के हस्ताक्षर)

Page 1 of 6

भाग- 2

(मान्यता प्राप्त दल द्वारा खड़े न किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए)

हम विधान सभा के निर्वाचन के लिए 183-कुम्हार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित का नामनिर्देशन करते हैं ।

अभ्यर्थी का नाम रघु पिपरावानी





पिता/माता/पति का नाम अरुण कुमार (एवाकेट पदवी धारक)

उसका डाक पता मो- सदरली मार्केट अजमेर के फुल, मार्च कुमार रोड

मो- अरुण कुमार  
उसका नाम 183-कुम्हार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग सं० 18 में क्रम सं० 879 पर प्रविष्ट है ।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम उस विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में जैसे कि नीचे उपदर्शित है, दर्ज है और हम इस नामनिर्देशन के प्रतीक स्वरूप नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं ।

प्रस्थापकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर

क्रम सं०	प्रस्थापक का निर्वाचक नामावली संख्यांक		पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
	निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली का भाग संख्यांक	उस भाग की क्रम संख्या			
1	2	3	4	5	6
1	18	1008	अरुण कुमार		13-10-10
2	18	1181	रघुजीत प्रसाद		13-10-10
3	18	1039	शौशालमा देवी		13-10-10
4	18	675	ओम प्रकाश मेहता		13-10-10

5	281	437	अश्विनेश कुमार	Ashwini Kumar	13.10.10
6	25	118	अश्विनेश कुमार	Ashwini Kumar	14.10.10
7	211	624	सरचेन्द्र कुमार	Sarjendra Kumar	14.10.10
8	18	938	पुनम देवी	Punam Devi	14.10.10
9	18	1118	अश्विनेश शर्मा	Ashwini Sharma	14/10/10
10	18	937	राजेंद्र कुमार शर्मा	Rajendra Kumar	14/10/10

कृपया ध्यान दें :- प्रस्थापक के रूप में निर्वाचन क्षेत्र के 10 निर्वाचक होने चाहिए ।

Page 2 of 6

### भाग- 3

मैं भाग 1/ भाग 2 (जो लागू न हो उसे काट दें ) में वर्णित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि-

(क) मैंने ..... 31 ..... वर्ष की आयु पूरी कर ली है ।

(नीचे ख (i) या ख (ii) जो लागू न हो उसे काट दें )

(क) (i) यहाँ का निर्वाचन क्षेत्र

दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राज्य में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे, आवंटित किया जाए ।

या

(ख) (ii) मुझे इस निर्वाचन में आरक्षण समर्थक पार्टी

दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल है । मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ (जो लागू न हो उसे काट दें) और मैंने जो प्रतीक चुने हैं वे अधिमान कम में (i) जैस सिमिंडर (ii) हेल्मीविडन (iii) सिलिंग फेन है ।

(ग) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर देवनागरी (भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है ।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं इस राज्य की विधान सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित हूँ और निरर्हित भी नहीं हूँ ।

\*मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं X  
\*\*जाति/जनजाति का सदस्य हूँ जो X राज्य के उस राज्य में के X (क्षेत्र) के संबंध में अनुसूचित \*\*\*जाति/जनजाति है ।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे बिहार राज्य की विधान सभा के लिए साथ-साथ कराए जा रहे वर्तमान साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचनों में से दो से अधिक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में \*\*\*\*नाम निर्देशित नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा ।

तारीख 13.10.2010

Renu Prasad Singh  
(अभ्यर्थी का हस्ताक्षर)

\*\* यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दीजिए ।

\*\*\*लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए ।

कृपया ध्यान दें :- "मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल" निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के अधीन संबंधित राज्य में मान्यता प्राप्त कोई राजनैतिक दल अभिप्रेत है ।

Page 3 of 6

भाग- 3 "क"  
(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

क्या अभ्यर्थी को :-

- (i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम- 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की-
- (क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए; या
- (ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए,  
सिद्धदोष ठहराया गया है : या
- (ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है,  
जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित

हाँ/नहीं रही

किया गया है ।

यदि उत्तर "हाँ" में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा : नहीं

- (i) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट, संख्यांक ..... नहीं .....
- (ii) पुलिस थाना (थाने) ..... नहीं .....
- जिला (जिले) ..... राज्य .....
- (iii) संबंध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके ) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था ..... नहीं .....
- (iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख / (तारीखें) ..... नहीं .....
- (v) वह (वि) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था ..... नहीं .....
- (vi) अधिरोपित दंड (कारावास (कारावासों) की अवधि और / या जुर्माने (जुर्मानों) की राशि उपदर्शित करें) ..... नहीं .....
- (vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें) ..... नहीं .....

(viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलों)/ पुनरीक्षण फाइल किए गए थे : हाँ / नहीं नहीं

(ix) फाइल की गई अपील (अपीलों)/ पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टताएं :- नहीं

(x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे :- नहीं

(xi) क्या उक्त अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह / वे लंबित है नहीं

(xii) यदि उक्त अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो  
(क) निपटारे की तारीख (तारीखें) नहीं

(ख) पारित आदेश (आदेशों) की प्रकृति नहीं

स्थान :- परतल सार • अगुमंडल अमीन



तारीख :- 13.10.10

Devi Priyadarshini  
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

Page 5 of 6

भाग- 4

(रिटनिंग आफिसर द्वारा भरा जाएगा )

नाम निर्देशन-पत्र की क्रम संख्या- ..... 35 ..... यह नामनिर्देशन मुझे/ मेरे कार्यालय में  
..... 14.10.10 ..... (तारीख) को 1.04 (शुक्र) (बजे) \*अभ्यर्थी/ प्रस्थापक द्वारा परिदत्त किया गया ।

तारीख ..... 14.10.10 .....  
\*जो शब्द लागू न हो उसे काट दीजिए ।

  
(रिटनिंग आफिसर)  
निर्वाची पदाधिकारी  
183- कुम्हार

### भाग- 5

नामनिर्देशन-पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटनिंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार  
परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ । :-

तारीख .....

(रिटनिंग आफिसर)

तैयारी

प्ररूप 26.

(नियम 4 क देखिए)

183 - कुम्हार विहार (म)

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)



.....विश्वर विद्याल (9th)..... (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

मैं रेणु मिश्र दानी पुत्र/पुत्री/पत्नी अरुण कुमार आयु

31 वर्ष जो मो. गणेश मारेड मदन के घर, म.प.कुशा  
रा.5, मधुजा देवी, पटना-4

का/ की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/ करती हूँ/ शपथ पर निम्नलिखित कथन ~~करता हूँ/ करती हूँ~~ :-

3420-13/10/10  
Date

1. मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/ की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है / किए गए हैं ।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/ की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/ करेगी) :-

(i) मामला/ प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/ संख्याएँ .....

(ii) पुलिस थाना (थाने) .....  
जिला (जिले) .....  
राज्य .....

(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है .....

(iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई .....

(v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था/ किए गए थे .....

किसा उर्फ मो.  
म.प.कुशा देवी म.  
किसा उर्फ मो.  
म.प.कुशा देवी म.

(vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी संक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय/द्वारा चोकी गई है/हैं.....

who has/have been declared before me.

Satyendra Prasad  
Notary, Patna



Page 1 of 2

मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/ नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है/ नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा)

- (i) मामला/ प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/ संख्याएँ .....
  - (ii) न्यायालय, जिसने दंडित किया है .....
  - (iii) पुलिस थाना (थानें) .....
- जिला (जिलें) .....

क्र. 85 में 8 मं  
नं. 101 वरी  
2-2-2020

(IV) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है .....

(V) तारीख (तारीखों) जिसको दंडादेश सुनाया गया था/ सुनाए गए थे .....

(VI) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका है/ रोके गए हैं .....

राम प्रसाद  
कानून  
द्वारा

स्थान :- पटना सर्ट 4195

तारीख :- 13.10.10

Renu Anand Sharma  
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करती/ करती हूँ कि इस शपथ पत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिस्या नहीं है और कोई तात्विक बात छिपायी नहीं गई है ।

4215 सर्ट 4195 स्थान पर आज तारीख 13.10.10 को सत्यापित किया ।



I, identify the deponent's signature; L.T.I. has had have affixed in my presence.

Renu Anand Sharma  
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

13/10/10

[Back To Main List](#)